संख्या-232/2025/83के-2/22-3-2025-17(235)/25

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 02 जुलाई, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जय नारायण उर्फ जैकी पुत्र श्री किशोर कुमार, निवासी जनपद-कानपुर नगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार के पत्र संख्या-1917/प्रो0अनु0(2)-285/2025/(बैठक दिनांक 09.01.2025), दिनांक 15.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जय नारायण उर्फ जैकी पुत्र श्री किशोर कुमार, 149 हैरिसगंज, थाना-रेल बाजार, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 09-07-2009 को अभियुक्त ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 14 वर्षीय लड़के पवन का अपहरण कर एवं पांच लाख रूपये फिरौती की रकम वसूलने के बावजूद पवन की गर्दन पर चोटें पहुंचाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-1221/2009 में भा0द0वि0 की धारा-364ए/34, 302/34, 201, 411 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-10, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 16.11.2013 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 04-01-2025 तक बन्दी की आयु 37 वर्ष है।

पुलिस उपायुक्त पूर्वी एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने तथा बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए बदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अभिमत दिनांक 03.01.2025 द्वारा बंदी के अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई किया जाना समीचीन नहीं होने की आख्या अंकित की गयी है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी द्वारा हत्या का अपराध कारित किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में पुलिस उपायुक्त पूर्वी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि बंदी को कारागार से रिहा करने पर समाज में रोष व तनाव व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुए बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता व बंदी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातारण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडने के दृष्टिगत सीआर0पी0सी0 की धारा-432 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी जय नारायण उर्फ जैकी पुत्र श्री किशोर कुमार को उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जय नारायण उर्फ जैकी (बन्दी संख्या-1888/2024) पुत्र श्री किशोर कुमार, निवासी जनपद-कानपुर नगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-232/2025/83(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 तथा रिट याचिका सं0-161/2022 सुरेन्द्र कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in